न्यायालय उपखण्डाधिकारी सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी का नाम :– हवाई सिंह यादव (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 771/ 2019

1 जग्गा सिंह पुत्र वैसाखा सिंह जाति बावरी निवासी खैरूवाला तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर

2 वधावा सिंह पुत्र गुरमुख सिह जाति बावरी निवासी खैरूवाला तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर

वादीगण

बनाम

1 भागवन्ती पतनी बिरमा जाति बावरी निवासी खैरूवाला तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर

2 लाल सिंह पुत्र बिरमा जाति बावरी निवासी खैरूवाला तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर

3 सुखदेव सिंह पुत्र बिरमा जाति बावरी निवासी खैरूवाला तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर

4 बुधो बाई पुत्री बिरमा जाति बावरी निवासी खैरूवाला तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर

5 मीरां बाई पुत्री बिरमा जाति बावरी निवासी खैरूवाला तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर

6 कर्मजीत पुत्री बिरमा जाति बावरी निवासी खैरूवाला तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर

7 लक्ष्मी देवी पुत्री बिरमा जाति बावरी निवासी खैरूवाला तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर

8 राजकौर पुत्री बिरमा जाति बावरी निवासी खैरूवाला तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर

9 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) सादुलशहर

प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88,53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित विद्वान अधिवक्तागण :–

1 श्री रामकुमार सिहाग, राकेश सिहाग अधिवक्ता (वादीगण)

2 राजपैरोकार वास्ते स्टेट

निर्णय दिनांक :– 24.01.2020

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने प्रतिवादीगण के विरूद्व अन्तर्गत धारा 88 आर. टी.ए. के तहत इन अभिकथनों के साथ प्रस्तुत किया किचक 19 पी टी पी जमाबंदी सम्वत 2068–2071 खाता संख्या 114/109 प.न. 105/144 मु.न. 8 कि.न. 4 ता 8, 11 ता 14, 17 ता 19, 22, 23 में 3.542 है. नहरी मय गे.मु. रास्ता, प.न. 106/144 मु. न. 9 कि.न. 1 में 0.228 है. नहरी, 0.025 हे गे.मु. रासता कुल खाता 3.795 है. नहरी मयगे.मु. रासता आराजी में से वादी संख्या 1 के नाम 0.632 है. व वादी संख्या 2 के

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
सादुलशहर

Scanned by CamScanner

नाम 0.632 है. आराजी दर्ज कागजात माल है। नकल जमाबंदी संलग्न वाद पत्र है। वादीगण एव प्रतिवादीगण एक ही परिवार के सदस्य है एव वादाधीन वादीगण एव प्रतिवादीगण के नाम दर्ज आराजी विरासतन भूमि है जो कि वादाधीन आराजी वैसाखा सिंह को अलॉट हुयी थी एव पूर्व में वैशाखा सिंह के नाम से ही गैर खातेदारी दर्ज रिकॉर्ड माल थी जो कि वैशाखा सिंह की मृत्यूपरान्त वादाधीन आराजी उसके तीनों पुत्रों ब्रहमा , गुरमुख, जग्गा के नाम से दर्ज रिकॉर्ड हुयी थी एव उक्त वादाधीन आराजी वैशाखा सिह को अकेले को अलॉट हुयी थी परन्तु खातेदारी सनद जारी करते वक्त वैशाखा सिंह के अलॉटशुदा आराजी मे दर्ज जीवों के नाम से खातेदारी सनद जारी के होनके कारण वादाधीन आराजी वसाखा सिंह, चन्द कौर व वरयाम सिंह के नाम से दर्ज कागजात हो गयी जो कि वरयाम सिंह बिरमा सिंह का ही नाम था परन्तु आराजी के अलॉटमेन्ट के वक्त नाम दर्ज होने के कारण गलत अंकन हो गया, एव तत्तपश्चात वादाधीन आराजी का विरासतन इन्तकाल दर्ज होने पर वादीगण एव प्रतिवादीगण के नाम से आराजी दर्ज कागजात हो चूकी है चूंकि बिरमासिह का देहान्त हो चूका है, वादाधीन आराजी की खातेदारी सनद जारी करते वक्त जीवों का नाम लिख देने के कारण वरयाम सिंह का नाम पूनः दर्ज हो जाने के कारण वादीगण के हक अधिकारों पर विपरीत असर पड़ता है जबकि वादाधीन आराजी वसाखासिंह के तीनों पुत्रों बिरमा, गुरमुख व जग्गा सिंह के नाम से गैर खातेदारी दर्ज रिकॉर्ड हो चूकी थी, इस प्रकार वादाधीन आराजी में वादी संख्या 1 को 1/3 हिस्सा व वादी संख्या 2 को 1/3 हिस्सा व प्रतिवादीगण को 1/3 हिस्सा आराजी प्राप्त हुयी थी एव उक्त आराजी के अलावा चक 22 पी टी पी में 1 बीघा आराजी वादीगण एव प्रतिवादीगण के हक हिस्सा की हैजो कि वादी संख्या 1 को प्राप्त होचूकी है एव वादाधीन आराजी में से वादीगण वरयाम सिंह का नाम कलमजन करवाने के कानूनन हक अधिकारी है। मद संख्या 4 में पारिवारिक बंटवारा दर्शाया गया। वादीगण के हक हिस्सा एव कब्जा काश्त की मुताबिक पारिवारिक बंटवारानूसार प्राप्त आराजी राजस्व रिकॉर्ड में मुताबिक बंटवारानूसार दर्ज रिकॉर्ड नही होने एव सांझाखाता मे दर्ज रिकॉर्ड रहने के कारण वादीगण को पानी की बारी रकम अदायगी बैंक ऋण व अन्य सरकारी सुविधाओं का लाभ लेने मे काफी परेशानियो का सामना करना पड़ता है एव आराजी राजस्व रिकॉर्ड में मुताबिक बंटवारानूसार दर्ज रिकॉर्ड नही होने के कारण वादीगण को प्रतिवादीगण के द्वारा बेदखल किये जाने का अंदेशा सदैव लगा रहता है जिस कारण वादीगण अपने हक हिसस एव कब्जा काश्त की किला विशेष आराजी को मन लगाकर काश्त कर पाने में असमर्थ है इसलिए वादीगण अपने हक हिस्सा एव कब्जा काश्त आराजी की खातेदारी घोषणा प्राप्त कर खाता अलग कायम करवाने के कानूनन हक अधिकारी है।वादीगण ने कई बार प्रतिवादीगण से निवेदन किया कि वे लोग सहमति के आधार पर वादीगण के हक हिससा एव कब्जा काश्त आराजी का मुताबिक पारिवारिक बंटवारानूसार खातेदार काश्तकार स्वीकार कर लेवे व किसी सक्षम अधिकारी के समक्ष उपस्थित होकरआराजी राजस्व रिकॉर्ड में मुताबिक बंटवारानूसार दर्ज रिकॉर्ड करवा लेवे व अपना अपना खाता अलग अलग कायम करवा लेवे तो पहले तो प्रतिवादीगण आज कल आज कल करते रहे परन्तु दिनांक 3.09.2019 को बमुकाम खैरूवाला में वादीगण की बात मानने से स्पष्ट रूप से ईन्कार हो गये औरवादीगण को ऐलानिया धमकी दी

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
सादुलशहर

Scanned by CamScanner

कि हम तो किसी बंटवारा को नही मानते और बरयाम सिंहका नाम दुरूस्त करवाकर उक्त आराजी को अपने नाम से दर्ज करवायेगें तुम्हे जो करना है कर लो बस यही बिनाये दावा है।वगैरा–वगैरा।

लिहाजा वाद वादीगण मय शपथ पत्र दो प्रतियों मे पेश कर निवेदन है कि चक 19 पी टी पी जमाबदी सम्वत 2068–2071 खाता संख्या 114/109 प.न. 105/144 मु.न. 8 कि.न. 11 में 0.253 है. नहरी, कि.न. 12 में 0.253 है. नहरी, कि.न. 19 में 0.253 हे. नहरी, कि.न. 22 में 0.253 है. नहरी कुल 1.012 है. नहरी आराजी का वादी संख्या 1 जग्गा सिह को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे एव उक्त खाता से वरमाय सिंह पुत्र वसाखा सिह का नाम कलमजन किया जावे। चक 19 पी टी पी जमाबदी सम्वत 2068–2071 खाता संख्या 114/109 प.न. 105/144 मु.न .8 कि.न. 5 में 0.228 है. नहरी, 0.025 हे. गै.मु. रास्ता, कि.न. 13 में 0. 253 है. नहरी, कि.न. 18 में 0.253 हे. नहरी, कि.न. 23 में 0.253 है. नहरी कुल 1.012 है. नहरी, प.न. 106/144 मु.न 9 कि.न. 1 में 0.228 है. नहरी, 0.025 है. गै.मु. रास्ता कुल 0.253 है. नहरी मय गे.मु. कुल 1.265 हे. नहरी मय गे.मु. रासता आराजी का वादी संख्या 2 वधावा सिंह को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे एव इस हद तक वरयाम सिंह पुत्र वसाखा सिह का नाम कलमजन किया जावे। अनूतोष की मद संख्या 'क', 'ख' के अनूसार वादीगण का खाता अलग कायम किया जाकर रेवेन्यू अलग से कायम की जाने के आदेश फरमाये जावें।

वाद पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादीगण की तलबी सामान्य प्रक्रिया से होने के बावजूद हाजिर अदालत नही आने पर प्रतिवादीगण के विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। जवाब स्टेट पेश हुआ राज्यहित को ध्यान मे रखते हुये वाद वादीगण मे उचित आदेश फरमाये जाने की इस्तदुआ की गयी।

बहस सुनी गयी। दौराने बहस वकील वादीगण ने दावा के तथ्यों को दोहराते हुये वाद वादीगण डिक्री किये जाने का निवेदन किया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादाधीन आराजी वैशाखा सिंह को अलॉट हुयी थी एव वैशाखा सिंह के मृत्यूपरान्त वादाधीन आराजी ब्रहमा, गुरमुख, जग्गा के नाम से गेर खातेदारी दर्ज रिकॉर्ड हुयी है एव तत्पश्चायत सनद जारी होने के उपरान्त पूनः वैशाखा सिंह वगैरा के नाम से दर्ज हुयी जिसका विरासतन ईन्तकाल वादीगण व प्रतिवादीगणके नाम से दर्ज रिकॉर्ड हो चूका है एव वादीगण के हक हिस्सा मे उनकी बहिनों द्वारा अपना हक हिस्सा जरिये रजिस्टर्ड दस्तबरदारी हकत्याग किया है, वादीगण व प्रतिवादीगण एक ही परिवार के सदस्य है एव वादीगण व प्रतिवादीगण पारिवारिक बंटवारा के अनूसार खातेदारी घोषणा व खाता तकसीम का अनूतोष चाह रहे है जो कि वादीगण के कथनो एव कब्जा काश्त किला विशेष आराजी का प्रतिवादीगण ने असालतन/वकालतन उपस्थित होकर विरोध नही किया है एव वादीगण की कब्जा काश्त के सम्बध में कोई विरोध नही है। इस प्रकार वादीगण ने कब्जा काश्त को बखूबी साबित किया है। वादीगण ने अपने वाद पत्र को अभिकथनों, दास्तावेजी साक्ष्यों, बहस के आधार पर बखूबी साबित किया है, वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाना न्यायोचित है।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
सादुलशहर

Scanned by CamScanner

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है तथा तहसीलदार (राजस्व) सादुलशहर को आदेशित किया जाता है कि :– चक 19 पी टी पी जमाबदी सम्वत 2068–2071 खाता संख्या 114/109 प.न. 105/144 मु.न. 8 कि. न. 11 में 0.253 है. नहरी, कि.न. 12 में 0.253 है. नहरी, कि.न. 19 में 0.253 हे. नहरी, कि.न. 22 में 0.253 है. नहरी कुल 1.012 है. नहरी आराजी का वादी संख्या 1 जग्गा सिह को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। चक 19 पी टी पी जमाबदी सम्वत 2068–2071 खाता संख्या 114/109 प.न. 105/144 मु.न .8 कि.न. 5 में 0.228 है. नहरी, 0.025 हे. गै.मु. रास्ता, कि.न. 13 में 0.253 है. नहरी, कि.न. 18 में 0.253 हे. नहरी, कि.न. 23 में 0.253 है. नहरी कुल 1.012 है. नहरी, प.न. 106/144 मु.न 9 कि. न. 1 में 0.228 है. नहरी, 0.025 है. गै.मु. रास्ता कुल 0.253 है. नहरी मय गे.मु. कुल 1. 265 हे. नहरी मय गे.मु. रासता आराजी का वादी संख्या 2 वधावा सिंह को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। एवं वादीगण को प्राप्त आराजी की हद तक वरयाम सिंह पुत्र वसाखा सिह का नाम कलमजन किया जाता है। उक्तानूसार ही वादीगण का खाता अलग अलग कायम किया जाकर वादीगण के नाम राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे। निर्धारित स्टाम्प डयूटी पेश होने पर उक्तानुसार ही पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैंसल शुमार होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 24.1.2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

24.1.2020

हवाई सिंह यादव (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
सादुलशहर

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Hawai Singh Yadav
Date: 2020.03.05 17:12:54 IST
Reason: SelfAttested
Location: